समाहरणालय, मधेपुरा।

पत्रांक- 1652/सा0सु0को0,

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

बिहार,पटना।

दिनांक- 3 जुलाई,2015

विषय- मधेपुरा जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के डाटा डिजिटाईजेशन हेतु निविदा की सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पकालिन निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु कुल पाँच प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न कर भेजा जाता है।

अतः अनुरोध है कि राज्य स्तरीय दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Sd/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक-1652/दिनांक- 3 जुलाई,2015

प्रतिलिपिः- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनापट के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/7/2015

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा सूचना

सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार,पटना के पत्रांक-769 दिनांक-20.05.2015 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा का डिजिटाईजेशन का कार्य ऑन लाईन ई-लाभार्थी साफ्टवेयर में किया जाना है। विभागीय निदेशालोक में उपरोक्त डाटा के डिजिटाईजेशन कार्य ससमय पूर्ण (30.07.2015 तक) करने हेतु इच्छुक वेंडर/फर्म से सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग-अलग सील्ड लिफाफा दिनांक-10.07.2015 को 03:00 बजे अपराह्न तक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मधेपुरा के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता क्रय समिति के समक्ष 04:00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी मधेपुरा जिला के सरकारी बेवसाईट madhepura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तेः-

1. वेंडर/फर्म को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग से कम से कम तीन वर्षो से निबंधित होने का प्रमाण-पत्र तथा आयकर संख्या (PAN No) देना होगा। विगत तीन वित्तीय वर्ष का अद्यतन Audit and balance sheet के साथ कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 25,00,000,00 (पच्चीस लाख रुपये) Turn over का Audit Report का संलग्न करना होगा।

2. वेंडर/फर्म को बिहार राज्य में सेवा कर एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठिन अधिनियम (Bihar shops and Establishment Act) के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण-पत्र एवं कागजात का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है।

3. निविदाकर्त्ता के प्रतिनिधि या स्वंय को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

4. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधकारी,मधेपरा के पक्ष में 25000.00 (पच्चीस हजार रुपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रुप में जमा करना होगा। जोकि संतोषजनक कार्य किये जाने के बाद वापस कर दी जायेगी।

5. आवंटित कार्य के Sub-contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना होगा, तथा किसी भी समय Sub-contracting यदि किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत राशि को जब्त करते हुए भेंडर/फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

6. संस्था को काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तेः-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता वेंडर/फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।

2. वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्यो की समेकित दर सभी करों सहित स्पष्ट रुप से अंकित होना चाहिए। वित्तीय निविदा में कम दर वाले लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। अतिरिक्त प्रिंट आउट का अलग से Quote करेंगे।

3. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कटौती जयेगी।

4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलंब के लिए 1000.00 (एक हजार) की से संबंधित वेंडर/फर्म के विपत्र से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरान्त भी विलंव होने की स्थिति आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची डाल दी जायेगी।

5. उपरोक्त शर्ते के अलावे समय-समय पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित/शर्ते/निदेशों का पालन करना होगा।

(ग) सामान्य शर्तेः-

1. ऑन लाईन डाटा डिजिटाईजेशन एवं उनके सत्यापन हेतु मुद्रित प्रति के मिलान एवं अंतिम सत्यापन पश्चात मुद्रित सत्यापित सामग्री जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में हस्तगत करना होगा। डाटा सत्यापन हेतु बार प्रिंट एवं एक बार फोटो कॉपी करना होगा। (A4 Size न्यूनतनGSM) कम्प्यूटर अधिष्ठापन आदि किसी भी प्रकार का कोई भाडा देय नहीं होगा।

2. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने शर्तो को संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के समय से कार्य निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को करने का अधिकार अद्योहस्त को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

3. इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,म मो0-(8873969356) या उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा ऑन लाईन डिजिटाईजेशन विहित साफ्टवेयर एवं उससे संबंधित विहित प्रपत्र/पेंशन भुगतान पंजी का नमूना देखा जा सकता है।

(प्रपत्र संलग्न-1प्रथम चरण का इंट्री प्रपत्र-2 द्वितीय चरण का इंट्री)

(घ) Scope of work:-

1. पथम चरण के इंट्री का कार्य दिनांक-15.07.2015 से 25.07.2015 तक संपन्न करना होगा एवं द्वि चरण का इंट्री कार्य दिनांक-26.07.2015 से 30.07.2015 तक संपन्न होगा।

2. जिले में लगभग 116000 (संख्या घट-बढ़ सकता है) पेंशनधारी है जो 170 पंचायतों एवं नगर नि में निवास करते है।

3. डाटा इंट्री के लिए स्थान समाहरणालय परिसर के किसी भवन में उपलब्ध करायी जायेगी।

4. निम्न सामग्री अधिष्ठापित किया जान अपेक्षित है। 20 Computer Connect Lan & Broad B Heavy Duty Laser Printer-02 Photo copier.

5. List of Operator with their Address Proof.

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

Naushad/e/drive/letter/53-1